	नेशनलसीड्सकॉरपोरेशनलिमिटेड (भारत सरकारकाउपक्रमलघुरत्न कंपनी) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़** जिलाश्रीगंगानगर (राज.) फोन: 01509&223873 ई–मेल :ago.csfsuratgarh@gmail.com	**NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED** (A Government of India Undertaking Miniratna Company) "An ISO 9001:2008 & 14001:2004 Company" **CENTRAL STATE FARM, SURATGARH** Distt:- SriGanganagar	

सी/एस/फ/एस.ओ.जी./2-10/चराई/कृषि/2022-23 दिनांक:- 13.04.2022

निविदा सूचना

केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़ (राजस्थान) , द्वारा फार्म में रबी सीजन 2021-22 में बोई गयी गेहूँ, चना ,जौ , जई, सरसों आदि फसलों की कटाई के बाद ख़ाली क्षेत्र में भेड़ें /पशु चराने के लिए इच्छुक व्यक्तियों/पार्टियों से सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ दिनांक 04/05/2022 को दोपहर 1:00 बजे तक ली जाएंगी और उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी | निविदाएं खोलने से पूर्व खुली बोली का भी आयोजन किया जायेगा। निविदा एव खुली बोली में भाग लेने के लिए निविदादाता को धारोहर राशि रूपये 50000 /- (रूपये पचास हजार मात्र) प्रति यूनिट व निविदा प्रपत्र शुल्क 590/- रूपये (18% GST सहित) का डीडी /ऑनलाइन के माध्यम से फार्म खाते में दिनांक 04/05/2022 को दोपहर एक बजे से पूर्व जमा करनी होगी । डिमांड ड्राफ्ट जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सूरतगढ़ के नाम से देय होगा। निविदा प्रपत्र एवं कार्य के नियम व शर्तें निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।

प्रबन्धक (उत्पादन)

कृते निदेशक

फार्म क्षेत्र में पशु चराई के परमिट जारी करने की नियम–शर्ते

1– पूरे फार्म को 9 यूनिटों में बांटा गया है। **ब्लाक एक** को 2,3,3 व 2 चकों की 4 यूनिट, खण्ड़ दो को 3, 2 व 2 चकों की 3 यूनिट व ब्लाक तीन के 2–2 चकों की 2 यूनिट होगी। टेण्डर में भाग लेने हेतु प्रत्येक यूनिट के लिए रु 50000/– मात्र धरोहर राशि केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से जो कि **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, सूरतगढ़** के पक्ष में देय हो जमा करानी होगी, जो कि चराई सन्तोषजनक पूरी होने पर बिना व्याज के लौटा दी जायेगी। **पहले खुली बोली कराई जायेगी उसके बाद टेण्डर खोले जायेगे। (केवल ऑफलाइन टेण्डर हेतु मान्य)** प्रस्तावित धरोहर राशि जमा नही होने की सूरत में टेण्डर मान्य नही होगा।

2– चराई का समय अधिक से अधिक 45 दिन होगा । चने की सिल्ला चुगाई व तूड़ी बनाने के लिए दिये गये क्षेत्र में तूडी बनाने के बाद ही चराई कर सकेगें।

3– चराई के लिए टेण्डर दरें यूनिट अनुसार ही मान्य होंगी। सफल निविदादाता को सम्पूर्ण राशि 3 कार्यदिवस में जमा करानी होगी। यदि तय समय तक सफल निविदादाता द्वारा राशि जमा नही की जाती है तो अमानत राशि जब्त कर ली जायेगी एवं उपरोक्त वावत अंतिम निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

4– यदि फार्म सम्पत्ति का कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।

5– पशु चराने के लिए आदमी फार्म क्षेत्र में किसी प्रकार का हथियार, बल्लम, भाला, बन्दूक, पिस्तौल आदि नहीं लायेगा और न ही प्रयोग करेगा। चराई का ठेका होने के बाद अवैधे चराई को रोकने की जिम्मेदारी चराई ढेकेदार की होगी । इसके लिए फार्म जिम्मेदार नहीं होगा

6– पर्ची लेने वाले को पूरा नाम व पता देना होगा साथ में पैन नंवर या आधार नंबर की फोटोकॉपी देनी होगी ।

7– जिस परिक्षेत्र में बिजाई आदि करने की जरूरत होगी, उसके बदले और क्षेत्र नहीं दिया जायेगा और न ही रकम वापिस की जायेगी एवं बिजाई की गई फसलों को किसी प्रकार का नुकसान होने की दशा में परमिट रद्द कर दिया जायेगा।

8– चराई के लिए प्रबन्धक (उत्पादन) द्वारा एक परमिट जारी किया जायेगा जो कि रबी फसलों की कटाई होने के उपरान्त ही जारी होगा।

9– फार्म के किसी भी अधिकारी, सुरक्षा चौकीदार व चक प्रभारी के मांगने पर चराई करने वाले को परमिट दिखाना होगा। बिना परमिट के पशु चराते हुए पाये जाने पर चराई को अवैध माना जायेगा।

10– गलत गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर चराई बिना कारण बताये भी फार्म निदेशक द्वारा बन्द की जा सकती है।

11– यदि खाली क्षेत्र में घग्घर नदी का पानी आ गया हो तो उसके एवज में दूसरा क्षेत्र नहीं दिया जायेगा।

12– पानी पिलाने के वास्ते भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं जायेगे सिर्फ अपने क्षेत्र में ही रहेगे। चराई के समय किसी पशु या भेड आदि की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए फार्म जिम्मेवार नहीं होगा।

13– परमिट लेने वाले को एक नोन ज्यूडिशियल रूपये 500–00 (रूपये पॉच सौ) के स्टाम्प दस्तावेज पर एक अनुबंध करना होगा कि किसी भी प्रकार का नुकसान फार्म की फसलों को नहीं करेगा और जिस क्षेत्र का परमिट लिया गया है उसी क्षेत्र में अपने पशु चराएगा और फार्म की शर्तो का पूर्ण पालन करेगा।

14–. यह अनुबंध दोनों फर्मो के बीच Agreement होने की तिथि से लागू होगा और अनुबंध की वैधता अवधि के अनुसार मान्य होगा। एक बार अनुबंध को अंतिम रूप देने के बाद सहमत दरें अनुबंध की अवधि के लिए मान्य होंगी जैसा कि निविदा में निर्धारित है। अनुबंध को पारस्परिक रूप से, सहमत अवधि के लिए समान नियम–शर्त और दरों पर आगे बढ़ाया जा सकता है।

15– बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम,1986 के अनुसार बच्चो व शराब पीऐ हुऐ मजदूरों को फार्म में कार्य पर लगाना व उनसे कार्य करवाना सख्त मना है। **बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं व बीमार मजदूरों** को काम पर नहीं लगायेगा ।

16– सभी प्रकार की वैधानिक देयता ठेकेदार की होगी।

17– ठेकेदार, निदेशक, केन्द्रीय राज्य फार्म, सूरतगढ़ को लिखित आज्ञा के बिना ठेके का हस्तान्तरण किसी अन्य ठेकेदार/व्यक्ति को नहीं कर सकेगा।

18– ठेकेदार द्वारा फार्म मे रिश्वत/उपहार अथवा किसी प्रकार का प्रलोभन दिया जाना दण्डनीय अपराध होगा।

19– टेण्डर मे दिये गये नियम एंव शर्ते तथा आवश्यक दिशा निर्देश इस अनुबंध के साथ बाध्य एवं स्वमान्य होंगे, जो कि ठेकेदार को मान्य होगें। अन्यथा की स्थिति में फार्म ठेकेदार की EMD राशि जप्त कर ठेका निरस्त करने के लिये स्वतंत्र होगा।

20– फर्मो द्वारा भुगतान केवल RTGS/NEFT या अन्य ऑनलाइन माध्यम से फार्म खाते में जमा करना होगा। फार्म खातों का विवरण निम्न प्रकार है –

Account No : 34056542572
IFSC Code : SBIN0007774
Name of Account holder: NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD SURATGARH
Bank Name : **State Bank of India, Suratgarh**

21– यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष इस आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय–समय पर संषोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करनें के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेषक इस मुद्दे को हल करनें के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जानें से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

–टैण्डर फार्म–

श्रीमान निदेशक महोदय
केंद्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़

विषय: - रबी 2021-22 की फसलों की कटाई के बाद खली क्षेत्र में भेड़ / पशु चराने के लिए टेंडर

महोदय

निवेदन यह है की में निम्न दरों पर फार्म में चराई कार्य लेने को तैयार हूँ ।

खंड न.	**यूनिट न.**	**चक संख्या**	**चराई का कुल क्षेत्र एकड़ में**	**पूरी यूनिट की रकम जो कि फार्म में जमा करनी है रुपये में**
1	1	35 STG,38 STG	1016.00	
1	2	37 STG,BRP-1,BRP-3	1741.00	
1	3	40,42 &44 STG	1763.00	
1	4	39 & 41 STG	1060.00	
2	1	31 A, 31 B PBN & 33 PBN	1645.00	
2	2	RPM-1 & RPM-2	1341.75	
2	3	RPM-3 &RPM-4	880.00	
3	1	3 SGM & 34 PBN	1017.00	
3	2	4 SGM & 5 SGM	1181.00	

हस्ताक्षर ....
नाम ....
पिता का नाम ....
ग्राम व् डाक घर ....
तहसील ....
जिला ....
मोबाइल न ....